समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को एक सौ पच्चीस रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को किसान पेंशन योजना में शामिल करते हुवे एक सौ पच्चीस रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है।

पात्रता— लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो और उसकी मासिक आय रु० 1000/- या इससे कम हो तथा उसके पास ढाई एकड़ से अधिक भूमि न हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई पुत्र/पौत्र न हो, यदि हो तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी पदों पर सेवारत न हो। विकलांग अथवा लापता हो या पूर्णतया अलग रहता हो और लाभार्थी की सहायता करने में असमर्थ हो तथा किसी अन्य स्रोत से पेंशन न मिलती हो।

चयन एवं भुगतान प्रक्रिया : चयन का अधिकार ग्राम पंचायतों में निहित है। ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा एवं सूची खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय को भेजी जायेगी।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का कमाने वाला सदस्य जब किसी कारणवश असमय मृत्यु का शिकार हो जाता है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो तो उसके उत्तराधिकारियों को मृत्यु/होने पर रु० 10,000/- की आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिसकी पात्रता का मापदण्ड निम्न है।

पात्रता :— परिवार के मृतक मुखिया पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। यह सहायता मृतक मुखिया के परिवार के ऐसे सदस्य को अनुमन्य होगी जो मृतक के बाद परिवार के भरण-पोषण का दायित्व उठा रहा हो।

चयन व भुगतान प्रक्रिया :— आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र (ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त) पर प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, यह आयु प्रमाण-पत्र शैक्षिक, मतदाता सूची, कुटुम्ब रजिस्टर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा। जाति एवं आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त हो। मृत्यु का प्रकार स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक होना, चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर मान्य होगा। मृतक परिवार का मुख्य साधक होने का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सदस्य खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार/पेशकार एवं समाज कल्याण अधिकारी होंगे, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थी को आर्थिक सहायता की धनराशि एक मुश्त रूप में चेक द्वारा दी जायेगी।

3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रथम एवं द्वितीय जीवित बच्चों तक रु० 500/- प्रति लाभार्थी आर्थिक सहायता दी जाती है।

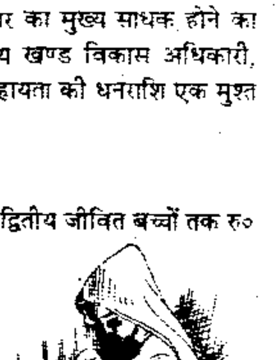

पात्रता : ऐसी महिलाएं, जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक हो, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सरकारी अस्पताल में अपना पंजीकरण कराया हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती हों, पात्र होंगी।

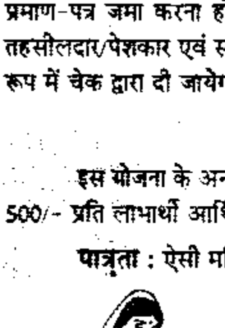

चयन व भुगतान प्रक्रिया : निर्धारित प्रारुप (विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त) पर प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र शैक्षिक, मतदाता सूची, कुटुम्ब रजिस्टर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा। ऐसे प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति